भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change

पंजीकृत डाक
REGISTERED POST

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
Central Zoo Authority

मि.सं. 13–4/2006–के.चि.प्रा. (खण्ड–VIII)/4925/2018 दिनांक: 07–12–2018

सेवा में,

श्री नितिन सिंघवी,
एम.आई.जी.–59, सेक्टर–1
शंकर नगर, रायपुर – 492 001
छत्तीसगढ़

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना बाबत् ।
सन्दर्भ: आपके के पत्र दिनाँक 13.11.2018, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भ पत्र का अवलोकन करें जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना चाहने बाबत दिनांक 15.11.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

इस संबंध में आपको यह अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा मेल से भेजी गई शिकायत पत्र दिनांक 28.09.2018 को कार्यालय के पत्र दिनांक 20.11.2018 से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, वन विभाग, छत्तीसगढ़ को अग्रेषित करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अतिशीघ्र भेजने को कहा गया है। उक्त पत्र की प्रति आपकी जानकारी हेतु संलग्न है।

यदि आप उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी के समक्ष एक महीने के अन्दर अपील कर सकते हैः–

सदस्य सचिव; के.चि.प्रा. एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
बी–1 विंग, छवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदया भवन,
सी.जी. ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

भवदीय
रविन्द्र सिंह रावत
7/12/18
(रविन्द्र सिंह रावत)
जन सूचना अधिकारी

संलग्नः उपरोक्त

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
Central Zoo Authority

डाक / ई–मेल द्वारा
दिनाँक : 20.11.2018

मि. सं. 20–2 / 2017–केचिप्रा(प्र.कु.रा.)/4774/2018

सेवा में,

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
वन विभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार,
अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज मार्ग,
रायपुर – 492 001 (छत्तीसगढ़),
ई–मेल: cwlwcg@gmail.com

विषयः– छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य में हाथी रहवास एवं पुनर्वास केन्द्र (ई.आर.आर.सी) की धारा 38 एच(1) के तहत बिना मान्यता प्राप्त कर संचालित करने तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को ई.आर.आर.सी संचालित करने के पूर्व चाही गई जानकारी जमा नहीं करने के संबंध में।

संदर्भः–

1. इस कार्यालय का पत्र मि.सं. 20–2 / 2017–CZA(AK)/1137/2017, दिनाँक 21.06.2017 ।
2. इस कार्यालय का पत्र मि. सं 20–2 / 2017– CZA(AKT)/4784/2018, दिनाँक 09.11.2018 ।
3. श्री नितिन सिंघवी, रायपुर, छत्तीसगढ का दिनाँक 28.09.2018 का पत्र।

महोदय,

कृपया उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

संदर्भित पत्र संख्या 3 द्वारा नितिन सिंघवी, रायपुर, छत्तीसगढ ने पुनः इस कार्यालय को अवगत कराया है कि छत्तीसगढ के सरगुजा जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य में हाथी रहवास एवं पुनर्वास केन्द्र (ई.आर.आर.सी), केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मान्यता के बिना ही संचालित किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा न तो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को उपरोक्त केन्द्र को शुरू करने से पूर्व माँगी गई सूचना दी गई है और न ही क्यूरेटर, पशु–चिकित्सक एवं जीव–विज्ञानी की नियुक्ति की गई है।

जारी....

बी -1 विंग, 6 तल, पं.दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
B-1 Wing, 6th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003
दूरभाष (Tel) : 011-24367846, 24367851, 24367852 फ़ैक्स (Fax) : 011-24367849
ई-मेल (E-mail): cza@nic.in वेबसाइट (Website): http://www.cza.nic.in

श्री सिंघवी के पत्र दिनॉक 28.09.2018 की प्रति आपके अवलोकन हेतु संलग्न है।

आपसे पुनः निवेदन है कि उपरोक्त विषय के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन इ कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु अतिशीघ्र भेजें।

भवदीर

संलग्नः यथोपरि।

(डॉ. डी.एन. सिंह
सदस्य सचि

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपिः-

वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक (हाथी रिजर्व), सरगुजा, अम्बिकापु (छत्तीसगढ), ई-मेलः cfwlsarguja@gmail.com